जन लोकपाल विधेयक

एक विस्तृत व्याख्या

प्रथम संस्करण

दिनांक : 20 मई 2011

इंडिया अगेंस्ट करप्शन द्वारा प्रकाशित

विषय–सूची

1. हम जन लोकपाल क्यों चाहते हैं?

क) स्वतंत्रता का अभाव 1
ख) शक्तिहीन 1
ग) कई तरह की एजेंसियां 2
घ) पारदर्शिता एवं आंतरिक जवाबदेही की कमी 2
ड़) भ्रष्टाचार विरोधी कानून में खामियां 3

2. लोकपाल की संरचना 3

क) जन लोकपाल तथा जन लोकायुक्त की स्वायत्तता 3
(i) प्रशासनिक स्वयात्तता 3
(ii) आर्थिक स्वयात्तता 4
ख) केवल भ्रष्टाचार निरोधी एजेंसी 4
ग) केवल सलाहकारी संस्थाएं नहीं 4

3. भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लोकपाल द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? 4

क) जांच की निश्चित समयावधि 4
ख) सरकार को हुए नुकसान की वसूली 5
ग) संपत्तियों की कुर्की 5
घ) भ्रष्टाचार के लिए पहले से अधिक सज़ा 5
ड़) अवैध रूप से प्राप्त हुए लाभ को भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित किया हुआ माना जाना 6
च) आदेशों के न मानने पर सज़ा का अधिकार 6

4. जन लोकपाल आम आदमी को रिश्वतखोरी से कैसे राहत दिलायेगा? 6

5. लोकपाल के तहत नागरिक अधिकार पत्र के उल्लंघन से संबंधित जन शिकायतों का निवारण कैसे किया जाएगा? फ्लो चार्ट 7

6. जन लोकपाल और जन लोकायुक्त में भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या किया जाएगा? 8

1) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस काम के लिए सही लोगों का चयन हो 8
2) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ये लोग ठीक से काम करें 8
3) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जन लोकपाल या जन लोकायुक्त किसी से प्रभावित न हों 9

घ) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर वे ठीक से काम नहीं करेंगे तो हटा दिए जाएंगे 9
(i) लोकपाल या लोकायुक्त के भ्रष्ट कर्मचारियों को हटाया जाना 9
(ii) लोकपाल या लोकायुक्त के अध्यक्ष या सदस्यों का हटाया जाना 9

7. जन लोकपाल का अधिकार क्षेत्र 10

क) सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 10
(i) सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना 10
(ii) सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरूद्ध भ्रष्टाचार 10
(iii) जन लोकपाल बिल के दायरे में उच्च न्यायपालिका को शामिल करने पर कुछ दोस्तों की आपत्तियां 12
ख) निर्वाचित राजनेता जिनमें प्रधानमंत्री तथा मंत्री भी शामिल हैं 16
ग) नौकरशाह 16

8. रेखाचित्र द्वारा लोकपाल या लोकायुक्त में भ्रष्टाचार के विरूद्ध शिकायतों के निवारण का निरूपण 17

9. भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों (व्हिसल ब्लोअर) का संरक्षण 17

10. झूठी और भ्रमित करने वाली शिकायतों के खिलाफ सुरक्षा 18

11. जन लोकपाल अधिनियम के बारे में अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न 19

क) क्या लोकपाल निरंकुश हो जाएगा? 19
ख) क्या जन शिकायतों को लोकपाल की परिधि में लाना चाहिए? इससे लोकपाल का कार्यभार अत्याधिक बढ़ने के साथ–साथ दुष्कर हो जाएगा? 20

12. परिशिष्ट 1 21

13. परिशिष्ट 2 26

जन लोकपाल क्यों ज़रूरी है?

हमारे मौजूदा भ्रष्टाचार निरोधी व्यवस्था में अनेक खामियां हैं, जिनकी वजह से पुख्ता सबूत होने के बावजूद भ्रष्ट लोगों के खिलाफ न तो ईमानदारी से जांच होती है, न ही मुकदमा चलाया जाता है और शायद ही किसी को सज़ा मिल पाती है। हमारी पूरी भ्रष्टाचार निरोधी व्यवस्था असल में भ्रष्ट लोगों को बचाने का काम करती है।

हमारी भ्रष्टाचार निरोधी इकाइयों में कई खामियां हैं जिनकी वजह से वह कोई भी ईमानदार जांच करने में असमर्थ हैं।

नीचे हमारी भ्रष्टाचार निरोधी तंत्र की चार प्रमुख कमियां दी गई है। हमारी भ्रष्टाचार निरोधी व्यवस्था की कमियों की विस्तृत जानकारी के लिए परिशिष्ट–1 देखें :

क) स्वतंत्रता का अभाव

हमारी ज़्यादातर एजेंसियां जैसे– सीबीआई, राज्य सतर्कता विभाग, विभिन्न विभागों के आंतरिक सतर्कता विभाग, राज्य पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधी शाखाएं इत्यादि स्वतंत्र नहीं है। अधिकतर मामलों में उन्हें अपनी जांच की रिपोर्ट उन्ही लोगों को सौंपनी होती है जो या तो आरोपी होते हैं या जिनके आरोपियों के प्रभाव में आने की संभावना होती है। उदाहरण के लिए–

● पंजाब के सतर्कता विभाग की जिम्मेदारी पंजाब के मुख्यमंत्री के पास है। मज़े की बात यह है कि वही सतर्कता विभाग मुख्यमंत्री तथा उनके परिवार के लोगों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर रहा है तथा मुकदमा चला रहा है। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि सतर्कता विभाग ईमानदारी से कोई जांच या मुकदमा चलाएगा?

● कृपया परिशिष्ट–2 में दी गई विस्तृत रिपोर्ट देखें कि कैसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के एक उच्च अधिकारी के घर से बेहिसाब नगद राशि मिलने के बाद भी कमल नाथ ने उस अधिकारी के विरूद्ध भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने की अनुमति नहीं दी। सीबीआई ने कोयला मंत्रालय के एक अधिकारी, के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति के लिए कई बार अनुरोध किया। परंतु कोयला मंत्रालय ने अनुमति नहीं दी। वह अधिकारी बाद में सीएमडी (मुख्य प्रबंधक निदेशक) बन गया। रेलवे ने इसी तरह रेलवे भर्ती घोटाले से जुड़े उच्च अधिकारियों के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाने की सीबीआई की मांग को लटकाए रखा।

ख) शक्तिहीन

हमारी कुछ एजेंसियां जैसे मुख्य सतर्कता आयोग या लोकायुक्त स्वतंत्र तो हैं,

लेकिन उनके पास कोई शक्ति नहीं है। उन्हें केवल सलाह देने वाली संस्था बनाया गया है। वे सरकार को दो तरह की सलाह देती हैं– किसी अधिकारी के खिलाफ विभागीय दंड लगाने की या उसके विरूद्ध अदालत में मुकदमा चलाने की। यह देखने में आया है कि जब भी किसी मंत्री या उच्च अधिकारी के विरूद्ध ऐसी सलाह दी जाती है, तब शायद ही उस पर अमल होता है।

ग) कई तरह की एजेंसियां

सरकार ने जान बूझकर अनेक भ्रष्टाचार निरोधी एजेंसियों का गठन किया है, तथा उन्हें टुकड़ों में अधिकार प्रदान किये हैं। यह इसलिए किया गया है जिससे वे प्रभावी न हो पाएं। उदाहरण के लिये–

● केन्द्र सरकार के स्तर पर, भ्रष्टाचार के एक ही मामले में मुख्य सतर्कता आयोग को उच्च अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला देखना होता है तथा विभागीय सतर्कता को कनिष्ठ अधिकारियों का मामला देखना होता है। जैसे कि वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारी भ्रष्टाचार में अलग–अलग लिप्त होते हैं !

● पुनः इसी मामलें में जहां ये दोनों एजेंसियां सतर्कता की दृष्टि से जांच, करती हैं वहीं सीबीआई इसी मामले की जांच आपराधिक दृष्टिकोण से करती है। सतर्कता तथा आपराधिक दृष्टिकोण लगभग समान होते हैं (दोनों एजेंसियां एक ही मामले की लगभग वही जांच पड़ताल अपने–अपने तरीके से करती हैं जो कि लगभग एक जैसी होती हैं)।

● भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित लोकपाल के अनुसार मुख्य सतर्कता आयोग नौकरशाहों की भूमिका की जांच करेगा तथा लोकपाल राजनेताओं की भूमिका की जांच करेगा। जैसे कि राजनेता और नौकरशाह भ्रष्टाचार में अलग–अलग सम्मिलित हों !

सबसे पहले तो, इस तरह का विभाजन भ्रम पैदा करता है। दूसरा, ऐसी जांच–पड़ताल कई सालों तक चलती रहती है। उदाहरण के लिये, कॉमनवेल्थ घोटाले के स्ट्रीट लाइट, मामलें में पहले सीवीसी ने जांच की, उसके बाद सीबीआई ने जांच की तथा उसके बाद इसी मामलें में शुंगलू समिति ने भी पूछताछ की। तीसरा, यदि दो एजेंसियां अलग–अलग नतीज़ों पर पहुंचती हैं तो इससे भ्रष्ट लोगों के ख़िलाफ मामला कमज़ोर पड़ता है। ऐसी भ्रामक व्यवस्था का फायदा अंततः भ्रष्ट लोगों को मिलता है जिनको सज़ा कभी नहीं मिलती।

घ) पारदर्शिता एवं आंतरिक जवाबदेही की कमी

इसके साथ ही, इन भ्रष्टाचार निरोधी इकाइयों में आंतरिक पारदर्शिता तथा जवाबदेही की कमी है। वर्तमान में, इन भ्रष्टाचार निरोधी इकाइयों में यदि इनके खुद

के कर्मचारी भ्रष्ट हो जाते हैं तो इन्हें रोकने के लिए कोई अलग से प्रभावी व्यवस्था नहीं है।

यही कारण है कि इतनी एजेंसियों के होते हुए भी भ्रष्ट लोग शायद ही कभी जेल जाते हैं। भ्रष्टाचार बड़े फ़ायदे तथा बिना खतरे वाला व्यवसाय बन गया है। भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रह गया है।

ड़) हमारी भ्रष्टाचार निरोधी कानून में कई बड़ी ख़ामियां है जो भ्रष्टाचारियों का बचाव करती है। उदाहरण के लिए :

● आज की व्यवस्था में, यदि कोई भ्रष्ट व्यक्ति जेल में जाता है तो भी ऐसा कोई प्रावधान कानून में नहीं है जिसके द्वारा उस व्यक्ति की काली कमाई या उसके द्वारा सरकार को पहुंचाए गये नुकसान की वसूली की जा सके उसकी संपत्ति जब्त की जा सके।

● किसी मामले में जांच शुरू करने से पहले अथवा भ्रष्टाचार का मामला कोर्ट में दायर करने से पहले उस विभाग के उच्च अधिकारी या मंत्री से अनुमति लेनी पड़ती है। कई मामलों में वे खुद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं।

इस प्रकार लगता है कि भ्रष्ट लोगों के बचाव के लिए बहुत कुछ है। इनके अलावा भी भ्रष्टाचार निरोधी कानून में अनेक खामियां हैं। जन लोकपाल अधिनियम के द्वारा भ्रष्टाचार निरोधी एजेंसियों और कानून की खामियों को ठीक करने की कोशिश की गई है।

जन लोकपाल की संरचना

जन लोकपाल विधेयक कहता है कि केन्द्रीय स्तर पर जन लोकपाल और हर राज्य स्तर पर जन लोकायुक्त नाम की संस्था बनाई जाएगी। केन्द्र सरकार के विभागों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत जन लोकपाल के पास तथा राज्य सरकार के विभागों से संबंधित भ्रष्टाचार की शिकायतें जन लोकायुक्त के पास की जाएंगी।

जन लोकपाल / जन लोकायुक्त में एक अध्यक्ष और दस सदस्य होंगे।

क) जन लोकपाल तथा जन लोकायुक्त की स्वतंत्रता

जन लोकपाल तथा जन लोकायुक्त सरकारी नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त होंगे। उनकी स्वतंत्रता निम्न उपायों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी :

● प्रशासनिक स्वतंत्रता – ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग (CEC), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) एवं सर्वोच्च न्यायलय की तरह स्वतंत्र इकाई होंगे। अतः कोई भी राजनेता या नौकरशाह उनके कार्यों में दखल नहीं दे सकेगा।

● आर्थिक स्वतंत्रता – इनके खर्च भारत या उस राज्य की संकलित निधि से किये जाएंगे इन्हें जितने भी खर्च की ज़रूरत होगी, वो उन्हें उपलब्ध कराये जाएंगे। जन लोकपाल / जन लोकायुक्त ज़रूरत के अनुसार कितने भी कर्मचारियों को नियुक्त कर सकते हैं। यह सरकारी सेवा में लगे हुए कर्मचारियों को या बाहर के किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं।

ख) केवल एक भ्रष्टाचार निरोधी एजेंसी

सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा, मुख्य सतर्कता आयोग तथा विभागीय सतर्कता को जन लोकपाल में विलय कर दिया जाएगा। पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा तथा राज्य के सतर्कता विभाग को जन लोकायुक्त में मिला दिया जाएगा। 1986 में जब कर्नाटक में लोकायुक्त बनाया गया था, तब उस समय की सभी भ्रष्टाचार निरोधी और सतर्कता एजेंसियों का लोकायुक्त में विलय कर दिया गया था।

वर्तमान में 18 राज्यों में लोकायुक्त की संस्था काम कर रही है। ये केवल सलाह सलाह देती हैं, न तो इनके पास संसाधन है और न ही शक्तियां। जन लोकपाल विधेयक के माध्यम से इनके स्थान पर जन लोकायुक्तों की स्थापना कर दी जाएगी।

ग) केवल सलाहकारी संस्थाएं नहीं !

जन लोकपाल तथा जन लोकायुक्त सलाहकारी संस्थाएं नहीं होगी। इनके पास किसी भी मामले में जांच शुरू करने और मुकदमा चलाने की शक्ति होगी। इसके लिए इन्हें किसी सरकारी एजेंसी से अनुमति नहीं लेनी होगी। जन लोकपाल तथा जन लोकायुक्त को अधिकारियों पर विभागीय दंड लगाने की भी शक्ति होगी।

भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जन लोकपाल द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी ?

आज हर तरफ भारी भ्रष्टाचार है– पंचायत के काम में, सड़क बनाने में, नरेगा, मिड–डे मील, राशन से लेकर खदानों के ठेकों में, 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ तक, जहां देखो वहीं भ्रष्टाचार। जन लोकपाल निम्नलिखित प्रावधानों के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगा कि हर भ्रष्टाचारी को निश्चित रूप से सज़ा मिले।

क. जांच की निश्चित समयावधि

भ्रष्टाचार के किसी भी मामले में जांच का काम एक साल में पूरा करना होगा। यह

सुनिश्चित करने के लिए की समय अवधि में जांच खतम हो– ज़रूरत पड़ने पर जन लोकपाल या जन लोकायुक्त और अफसरों की भर्ती कर सकेंगे। जांच के बाद निम्न दो कार्रवाई की जाएगी–

● भ्रष्ट अफसरों को नौकरी से हटाना– जांच के बाद, यदि पर्याप्त सबूत पाये जाते हैं तो जन लोकपाल या जन लोकायुक्त के पास भ्रष्ट अफसरों को हटाने या उनके ख़िलाफ़ अन्य किसी विभागीय दण्ड जैसे पदावनति, पदोन्नति पर रोक, लगाने का अधिकार होगा। इन आदेशों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी।

● जेल भेजने की कार्रवाई– जांच की प्रक्रिया पूरी हो जाने पर जन लोकपाल या जन लोकायुक्त अदालत में केस दाखिल करेंगे। कोर्ट को एक साल के भीतर सुनवाई पूरी करके सज़ा सुनानी होगी। समय पर ट्रायल सुनिश्चित करने के लिए जन लोकपाल या जन लोकायुक्त अतिरिक्त कोर्ट स्थापित करने के लिए सरकार को निर्देश दे सकेंगे।

ख. सरकार को हुए नुकसान की वसूली

जांच के दौरान यदि पुख्ता सबूत हों तो जनलोकपाल आरोपी की संपत्ति के हस्तांतरण पर रोक लगा सकता है। यह रोक आरोपी से लाभ पाने वाले लोगों की संपत्तियों पर भी लग सकती है। फैसला सुनाते वक्त कोर्ट भ्रष्टाचार से सरकार को हुए नुकसान का आंकलन करेगी। इस नुकसान की वसूली इन संपत्तियों द्वारा की जाएगी (मौजूदा कानून में भ्रष्टाचारियों द्वारा ली गई रिश्वत या सरकार को हुए नुकसान की वसूली का कोई प्रावधान नहीं है)।

ग. संपत्तियों की कुर्की (ज़ब्त करना)

सभी अफसरों, नेताओं और जजों को हर साल अपने और अपने परिवार के चल एवं अचल संपत्तियों का विवरण जमा करना होगा जिसे सरकारी वेबसाईट पर डाला जायेगा। इसके बाद यदि कोई अघोषित संपत्ति पाई जाती है तो यह मान लिया जायेगा कि इसे भ्रष्टाचार से हासिल किया गया है और इसकी कुर्की की जाएगी। आरोपी के खिलाफ मुकदमें की कार्यवाही शुरू की जाएगी।

ऐसे ही, हर चुनाव के बाद भी जन लोकपाल/लोकायुक्त प्रत्येक प्रत्याशी द्वारा घोषित संपत्तियों की जांच करेगा। यदि कोई अघोषित संपत्ति पाई जाती है तो मामला दर्ज किया जायेगा तथा जांच शुरू की जाएगी।

घ. भ्रष्टाचार के लिए कठोर सज़ा

वर्तमान में, भ्रष्टाचार के लिए कम से कम छः महीने और अधिक से अधिक सात साल की सज़ा होती है, जो माना जाता है कि बहुत कम है। जन लोकपाल कानून में इसे बढ़ाकर कम से कम एक साल और अधिकतम आजीवन कारावास करने का

प्रस्ताव है।

ङ. अवैध रूप से प्राप्त हुए लाभ को भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित किया हुआ माना जाएगा

मौजूदा व्यवस्था में, यदि अवैध रूप से सरकार से कोई लाभ प्राप्त करता है तो यह साबित करना बहुत मुश्किल होता है कि उसने इसे रिश्वत देकर प्राप्त किया है। इसलिए, जन लोकपाल बिल यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी नियम या कायदे–कानून का उल्लंघन करके कोई सरकारी लाभ प्राप्त करेगा है तो उस व्यक्ति के साथ–साथ संबंधित अधिकारी भी भ्रष्टाचार का दोषी मान लिया जाएगा।

च. आदेशों के न मानने पर सज़ा का अधिकार

जन लोकपाल या जन लोकायुक्त के आदेशों के न मानने पर उसे आर्थिक दंड लगाने का अधिकार होगा और साथ ही दोषी अधिकारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाही शुरू की जाएगी।

जन लोकपाल आम आदमी को रिश्वतखोरी से कैसे राहत दिलायेगा?

आज एक आम आदमी को किसी भी सरकारी दफ्तर में अपना काम कराने के लिये रिश्वत देनी पड़ती है– जैसे राशन कार्ड या पासपोर्ट बनाने में, आयकर रिटर्न या पेंशन लेने में। जन लोकपाल और जन लोकायुक्त आम आदमी को ऐसे रोजमर्रा के भ्रष्टाचार से राहत दिलायेगा।

➢ सभी सरकारी विभागों को एक नागरिक चार्टर (घोषणा पत्र) तैयार करना होगा, जिसमें यह लिखा होगा कि कौन सा अधिकारी जनता का कौन सा काम कितने दिन में पूरा करेगा। जैसे– कौन सा अफसर राशन कार्ड बनायेगा, कौन सा अफसर पासपोर्ट बनायेगा और इनको बनाने में कितना वक्त लगेगा।

➢ अगर चार्टर का पालन नहीं किया जाता, तो कोई भी व्यक्ति उसके ख़िलाफ उस विभाग के मुखिया के पास शिकायत कर सकेगा। विभाग का मुखिया जन शिकायत अधिकारी (पीजीओ) के रूप में कार्य करेगा।

➢ पीजीओ को शिकायत का निपटारा अधिकतम 30 दिनों में करना होगा।

➢ अगर शिकायतकर्ता पीजीओ के काम से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह इसकी शिकायत सीधे सतर्कता अधिकारी यानि विजिलेंस अफसर, से कर सकता है। जन लोकपाल के पास हर जिले में एक सतर्कता अधिकारी और लोकायुक्त के पास हर प्रखंड यानि ब्लॉक में एक सतर्कता अधिकारी होगा।

➢ ऐसी शिकायतों में यह मान लिया जाएगा कि इनमें रिश्वतखोरी का मामला

बनता है।

➢ सतर्कता अधिकारी को–

- 30 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता का काम करवाना होगा।
- दोषी अधिकारियों पर जुर्माना लगाना होगा, जो शिकायतकर्ता को मुआवज़े के रूप में मिलेगा।
- दोषी अधिकारी के ख़िलाफ भ्रष्टाचार की कार्यवाही शुरु की जायेगी।

➢ यदि कोई नागरिक सतर्कता विभाग की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं होता है तो वह जन लोकपाल या जन लोकायुक्त के मुख्य सतर्कता अधिकारी यानि चीफ विजिलेंस अफसर (सी.वी.ओ.) के पास अपील कर सकेगा।

➢ किसी विभाग के अधिकारी के खिलाफ लगे आर्थिक या विभागीय दंड के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी।

➢ हमारा मानना है कि जब किसी विभाग के प्रमुख के ऊपर कुछ जुर्माने लगाए जाएंगे, तो वह उचित व्यवस्था लागू करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में ऐसी शिकायतें न आये।

जन लोकपाल/लोकायुक्त के तहत नागरिक अधिकार पत्र (नागरिक घोषणा पत्र या सिटिज़न चार्टर) के उल्लंघन से संबंधित जन शिकायतों का निवारण कैसे किया जाएगा?

फ्लो–चार्ट

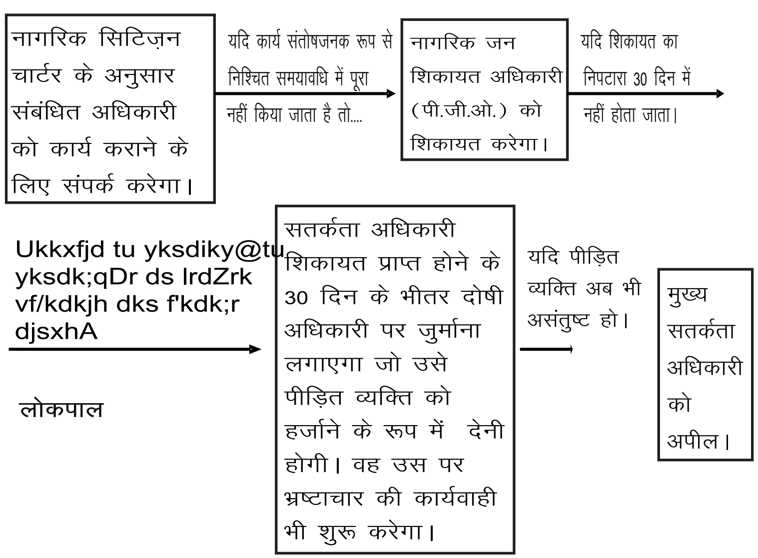

जन लोकपाल और जन लोकायुक्त संस्थाओं के अंदर भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या किया जाएगा?

1. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस काम के लिए सही लोगों का चयन हो।

इसके लिए जन लोकपाल / लोकायुक्त के अध्यक्ष व सदस्यों की चयन प्रकिया को पारदर्शी एवं व्यापक आधार वाला बनाया गया है, जिसमें लोगों की पूरी भागीदारी है।

- जन लोकपाल के दस सदस्यों और अध्यक्ष के चयन के लिए एक चयन समिति बनाई जाएगी। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, दो सबसे कम उम्र के सुप्रीम कोर्ट के जज, दो सबसे कम उम्र के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) एवं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) होंगे। चयन समिति योग्य लोगों का चयन उस सूची से करेगी, जो उसे 'सर्च कमेटी' द्वारा मुहैया कराई जाएगी।
- ''सर्च कमेटी'' में दस सदस्य होंगे, जिसका गठन इस तरह होगा:– सबसे पहले पूर्व/रिटायर्ड सीईसी और पूर्व सीएजी में से पांच सदस्य चुने जाएंगे। इनमें वो पूर्व सीईसी और पूर्व सीएजी शामिल नहीं होंगे, जो दाग़ी हों या किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ हुए हों या अब भी किसी सरकारी सेवा में कार्यरत हों। ये पांच सदस्य अब बाक़ी पांच सदस्यों का चयन देश के सम्मानित लोगों में से करेंगे, और इस तरह दस लोगों की सर्च कमेटी बनेगी।
- सर्च कमेटी देश के विभिन्न सम्मानित लोगों, जैसे संपादकों कुलपतियों, या जिनको वो ठीक समझें– उनसे सुझाव मांगेगी। इन लोगों के सुझाये गये नाम वेबसाइट पर डाले जाएंगे, जिन पर जनता की राय ली जाएगी। इसके बाद सर्च कमेटी की मीटिंग होगी जिसमें आम राय से रिक्त पदों से तिगुनी संख्या में उम्मीदवारों को चुना जाएगा। यह सूची चयन समिति को भेजी जाएगी, जो सदस्यों का चयन करेगी।
- सर्च कमेटी और चयन समिति की सभी बैठकों की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, जिसे सार्वजनिक किया जाएगा।
- इसके बाद जन लोकपाल और जन लोकायुक्त अपने कार्यालय के अधिकारियों का चयन करेंगे और उन्हें नियुक्त करेंगे।

2. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ये लोग ठीक से काम करें।

- जन लोकपाल या जन लोकायुक्त को हर शिकायत पर कार्रवाई करनी होगी।

सुनवाई किए बिना किसी भी शिकायत को खारिज नहीं किया जाएगा। यदि किसी भी मामले को बंद किया जाता है तो ऐसा करने के बाद उससे जुड़े तमाम दस्तावेज़ों को सार्वजनिक किया जाएगा।

- जन लोकपाल और जन लोकायुक्त का कामकाज पूरी तरह पारदर्शी होगा। जिन दस्तावेज़ों से राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित होती हो या जिनसे भ्रष्टाचार के ख़िलाफ आवाज उठाने वालों को खतरा पहुंचता हो, उन दस्तावेज़ों को छोड़कर सभी रिकॉड्र्स या दस्तावेज़ सार्वजनिक किए जाएंगे। जिन दस्तावेज़ों से जांच की प्रक्रिया में बाधा पहुंचती है उन्हें, जांच के दौरान रोका जा सकता है लेकिन, जांच के बाद उन्हें भी सार्वजनिक कर दिया जाएगा।

- कितने मामले आये, कितने सुलझाए गए, कितने बंद कर दिए गए, क्यों बंद कर दिए गए, कितने लंबित हैं आदि का पूरा लेखा–जोखा हर महीने वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा।

3. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जन लोकपाल या जन लोकायुक्त किसी से प्रभावित न हों।

जन लोकपाल या जन लोकायुक्त के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने के बाद वो किसी भी सरकारी पद को ग्रहण नही कर सकेंगे और न ही कोई चुनाव लड़ सकेंगे।

4. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर वे ठीक से काम नहीं करेंगे तो हटा दिए जाएंगे।

I) जन लोकपाल या जन लोकायुक्त के भ्रष्ट कर्मचारियों को हटाया जाना

कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत एक स्वतंत्र मंच पर की जा सकेगी जो प्रत्येक आयुक्त या प्रत्येक राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर (मंडलीय स्तर कमिश्नरेट स्तर पर) पर गठित होगा। इन शिकायतों पर एक महीने के अंदर जांच करनी होगी। यदि आरोप साबित होते हैं तो भ्रष्ट कर्मचारी को अगले एक महीने के अंदर नौकरी से निकाल दिया जाएगा और उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत फौजदारी का मुकदमा दायर किया जायेगा।

II) जन लोकपाल या जन लोकायुक्त के अध्यक्ष या सदस्यों का हटाया जाना

जन लोकपाल या जन लोकायुक्त के अध्यक्ष व सदस्यों के ख़िलाफ कोई भी आदमी उच्चतम न्यायालय या उस राज्य के उच्च न्यायालय में शिकायत कर सकता है। न्यायालय की एक बेंच के सुनवाई के बाद विशेष जांच टीम के गठन का आदेश दे जा सकते हैं। इस टीम को तीन महीने में जांच पूरी करनी होगी। जांच के आधार पर न्यायालय जन लोकपाल या जन लोकायुक्त के अध्यक्ष या सदस्यों को हटाने का आदेश दे सकती है।

जन लोकपाल का अधिकार क्षेत्र

क) सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

I) सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने की कार्यवाही

वर्तमान व्यवस्था – किसी न्यायाधीश को गलत आचरण के मामले में संविधानिक लिखित प्रक्रिया के अनुसार महाभियोग लगा कर हटाया जा सकता है।

जन लोकपाल कानून द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था– जन लोकपाल विधेयक में इस व्यवस्था को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

II) सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की जांच वर्तमान व्यवस्था – आज, यदि किसी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति के बिना न तो उसके खिलाफ (एफ. आई. आर.) दर्ज कराई जा सकती है और न ही जांच शुंरू की जा सकती है। ऐसा देखने में आया है कि किसी न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार के पर्याप्त सबूतों के पेश किये जाने के बावजूद मुख्य न्यायाधीश (एफ. आई. आर.) दर्ज करने का आदेश देने से हिचकिचाते हैं।

ऐसे भी मुख्य न्यायाधीश जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने तक (एफ. आई. आर.) दर्ज कराने की अनुमति नहीं दी। जैसे, श्री पी चिदंबरन ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेन गुप्ता के खिलाफ (एफ. आई. आर.) दर्ज कराने की अनुमति मांगी थी। यह अनुमति उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश वैंकटचलैया से मांगी गई थी जो अपनी सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाते हैं, फिर भी न्यायाधीश वैंकटचलैया ने अनुमति नहीं दी। न्यायाधीश सेन गुप्ता के खिलाफ सबूतों के मजबूत होने का अंदाजा इसी बात से लगाया

जा सकता है कि उनके रिटायरमेंट या सेवानिवृत्त होते ही छापा पड़ा और उन्हें हिरासत में ले लिया गया क्योंकि रिटायरमेंट या सेवानिवृत्ति के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश से अनुमति की ज़रूरत नहीं होती।

ऐसे ढेरों मामलें है जहां प्राथमिकी (एफ. आई. आर.) दर्ज कराने की अनुमति ठुकरा दी गई। ऐसे कुछ मामले नीचे दिये गये है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस भल्ला के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराने की मांग सन् 2006 से लंबित है। यह मांग ''कैम्पैन ऑन ज्युडिशियल अकाउंटबिलिटी'' द्वारा उठाई गई थी जिसके प्रतिनिधि शांति भूषण, प्रशांत भूषण, राम जेठमलानी, न्यायमूर्ति राजेन्द्र सच्चर, इन्दिरा जयसिंह, अरविंद निगम आदि हैं। जस्टिस एफ. आई. रिबैलो के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज कराने की इसी समूह की मांग भी सितम्बर 2010 से ज्यों की त्यों पड़ी हुई है।

इसलिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से अनुमति मांगने वाली मौजूदा व्यवस्था उच्च न्यायिक प्रणाली में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली तथा भ्रष्टाचारियों को सुरक्षा प्रदान करने वाली मालूम होती है।

प्रस्तावित व्यवस्था : ऐसी गलतफहमी फैलाई जा रही है कि न्यायपालिका को जन लोकपाल के नियंत्रण में लाया जा रहा है। यह बिल्कुल गलत धारणा है।

जन लोकपाल के तहत प्रस्तावित किया गया है कि किसी भी न्यायाधीश के भ्रष्टाचार के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज कराने की अनुमति भारत के मुख्य न्यायाधीश के बजाय सात सदस्यों वाली जन लोकपाल की एक पीठ देगी (इस पीठ में न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े सदस्यों की संख्या बहुमत में हो सकती है)। मौजूदा व्यवस्था और जन लोकपाल बिल में प्रस्तावित व्यवस्था में बस इतना ही वास्तविक फर्क है।

एफ. आई. आर. दर्ज होने के बाद अगर कोई मामला बनता है तो मौजूदा व्यवस्था के तहत पुलिस या सीबीआई मामले की जांच करती है और मुकदमा चलाती है । चूंकि हमारा प्रस्ताव है कि सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा का जन लोकपाल में विलय कर दिया जाए इसलिए जाहिर है कि एफ. आई. आर. दर्ज होने के बाद जांच एवं मुकदमा दायर करना लोकपाल की जांच एवं मुकदमें के लिए बनी नई शाखा करेगी।

जांच के पूरा होने के बाद जन लोकपाल की पूरी पीठ यह तय करेगी कि मुकदमा कोर्ट में दायर किया जाए या नहीं। जन लोकपाल के पास न्यायाधीश को दंडित करने या उन्हें बर्खास्त करने की कोई शक्ति नहीं होगी। न्यायालय ही मामले में सुनवाई करके सज़ा सुनाएंगे। कुल मिला के

III) जन लोकपाल बिल के दायरे में उच्च न्यायपालिका को शामिल करने पर कुछ दोस्तों की आपत्तियां :

जन लोकपाल प्रस्ताव की आलोचना	जन लोकपाल की प्रतिक्रिया
यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा।	यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कैसे प्रभावित करेगा ? हम न्याय व्यवस्था का बहुत सम्मान करते हैं और चाहते है कि वह स्वतंत्रत रहे। उच्च न्यायपालिका के ज्यादातर न्यायाधीश ईमानदार हैं परंतु , कुछ लोगों द्वारा किये गये गलत कामों की वजह से पूरी न्यायपालिका का नाम बदनाम हो गयी है। ऐसे भ्रष्ट लोगों की पहचान होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। जन लोकपाल की व्यवस्था जो इसे प्रभावशाली तरीके से कर पाएगी। तब न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मजबूती मिलेगी और लोगों की नज़रों में उसकी विश्वसनीयता और भी बढ़ेगी। मौजूदा व्यवस्था में भ्रष्टाचारियों को शरण मिल रही है। इसलिए मौजूदा व्यवस्था में लोगों के जहन में न्यायपालिका की छवि और विश्वसनीयता को कम कर रही है और साथ ही अपनी स्वतंत्रता के साथ समझौता भी कर रही है। जन लोकपाल अधिनियम एक ऐसी व्यवस्था बनाएगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि जज के खिलाफ प्राथमिकी और मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया स्वतंत्र हो।
इससे जन लोकपाल पर काम का बोझ बहुत ही बढ़ जाएगा।	हमारे देश में 1000 से भी कम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। न्यायाधीश एस.पी. भरूचा ने एक बार कहा था कि उच्च न्यायपालिका में 20 फीसदी से भी कम भ्रष्टाचारी हैं। जाहिर है कि उन सभी के खिलाफ एक ही समय पर शिकायतें नहीं आयेंगी। लेकिन अगर सभी शिकायतें एक साथ आ भी जाती हैं तो भी शिकायतें 200 से तो कम ही होंगी। यह बहुत ही छोटी संख्या है और इससे किसी भी मायने से जन लोकपाल पर काम का बोझ नहीं बढ़ेगा।

न्यायिक मामलें काफी पेचिदे पेचीदा होते हैं। इसलिए न्यायाधीशों के खिलाफ आने वाली शिकायतों को न्यायपालिका से जुड़े व्यक्ति द्वारा ही देखा जाना चाहिए।	जन लोकपाल को न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने या किसी भी न्यायिक प्रक्रिया या फैसलों पर सवाल करने का अधिकार नहीं होगा। जन लोकपाल को न्यायाधीशों के पेशेगत व्यवहार / दुर्व्यवहार में झांकने की शक्ति नहीं है। जन लोकपाल सिर्फ किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ रिश्वत लेने के आरोपों के लिए प्राथमिकी (एफ. आई. आर.) दर्ज कराने की अनुमति दे सकेगा। रिश्वत लेना और देना दोनों ही दण्डनीय अपराध है। इसमें कोई तकनीकी पक्ष शामिल नहीं है। अगर इस तर्क को स्वीकार किया जाए तो फिर आयकर विभाग से जुड़े लोग भी कहेंगे कि आयकर एक बहुत पेचिदा पेचीदा मामला है और इस विभाग के अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को उन्हीं लोगों को देखना चाहिए जो आयकर से जुड हों। नेताओं, सीमा शुल्क अधिकारियों और लोकशाही के दूसरे विभागों की भी मांगें इसी तरह की होंगी।
लेकिन, हमारे संविधान में न्यायधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया पहले से ही दी हुई है। क्या आप संविधान में कोई संशोधन की सलाह दे रहें हैं?	जन लोकपाल कानून संविधान में संशोधन की बात नहीं कह रहा है। हम संविधान में मौजूद न्यायाधीशों के महाभियोग से जुड़े प्रावधानों को जन लोकपाल कानून छू तक नहीं रहा है। महाभियोग की बात ही नही हो रही हैं। सिर्फ इतना कहा जा रहा हैं कि न्यायाधीशों के खिलाफ प्राथमिकी (एफ. आई. आर.) दर्ज कराने की अनुमति मुख्य न्यायाधीश के बजाय जन लोकपाल की सात सदस्यों वाली पीठ को दे दी जाए।
सरकार की तरफ से पेश किये गये ज्युडिशियल अकाउंटबिलिटी बिल का क्या होगा?	दुर्भाग्यवश, सरकार द्वारा पेश किये गये ज्युडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटबिलिटी बिल इस बात का भरोसा नहीं दिलाता कि इससे न्यायपालिका किसी भी प्रकार से जवाबदेह बन पाएगी। इस बिल से ऐसा महसूस होता है कि न्यायपालिका स्वयं ही

	अपनी जवाबदेही तय करेगी। दिखाने मात्र, इसमें कुछ कार्यकारियों को शामिल कर लिया गया है। न्यायपालिका निगरानी समिति जो न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतें दर्ज करेगी, उसमें भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायलय के एक वर्तमान न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत एक सम्मानित व्यक्ति को शामिल किया जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें न्यायपालिका से तीन लोग, जिनमें मौजूदा दो न्यायाधीश और दो लोग कार्यकारिणी से शामिल होंगे। इन पांच सदस्यों में से तीन पदेन (Ex-Officio) सदस्य होंगे जो अपने काम के साथ काफी व्यस्त होंगे। इसलिए वे शिकायतों के देखने के लिये जरूरत के मुताबिक समय मुश्किल से निकाल पायेंगे। यही वजह है कि निगरानी समिति न तो सरकार से स्वतंत्र होगी और न ही न्यायपालिका से। इसके अलावा यह` न्यायाधीशों के खिलाफएक बड़ा बुरा प्रावधान इस बिल में दिया गया है कि शिकायत को एक समीक्षा समिति को भेजा जाएगा, जिसमें उसी न्यायालय के दो वर्तमान न्यायाधीश और एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश शामिल होंगे। इससे समीक्षा समिति के लिए यह लगभग नामुमकिन हो जाएगा कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अपनी निष्पक्ष रिपोर्ट दें, जो उसी न्यायालय में उनका साथी है। इसके अलावा ज्युडिशियल अकाउंटबिलिटी बिल न्यायाधीशों की ओर से ली जाने वाली रिश्वत के बारे में बात नहीं करता। यह सिर्फ पेशे से जुड़ी हुई गलत आचरण की बात करता है। जन लोकपाल आपराधिक व्यवहार की बात करता है। इसलिए यह दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है। न्यायपालिका की निगरानी समिति के पास पुलिस और जांच करने की शक्ति तथा रिश्वत लेने की आपराधिक शिकायतों से निपटने के लिए कोई तंत्र नहीं है। यह काम केवल जन लोकपाल कर सकता है।

जन लोकपाल के सदस्यों के खिलाफ शिकायतें सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगी और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों की शिकायत जन लोकपाल के पास। क्या इससे एक किस्म का चक्र बनता दिखाई नहीं देता?	किसी भी लोकतंत्र में इस प्रकार का चक्र उच्च स्तरों पर आंतरिक जांच और संतुलन का एक हिस्सा है। उदाहरण के लिए, सर्वोच्च न्यायालय विधायिका और कार्यपालिका पर नज़र रखती है और विधायिका के पास न्यायिक मामलों के लिए कानून बनाने की शक्तियां है। अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और जन लोकपाल के सदस्यों के खिलाफ एक ही समय पर कोई शिकायत होती है तो जाहिर सी बात है कि आरोपी न्यायाधीश या आरोपी सदस्य पीठ से बाहर हो जाएगा। अगर कभी भी ऐसा मौका आता है तो दोनों संस्था के कार्यवाही में पारदर्शिता की वजह से दुरुपयोग की संभावना पर नजर रखी जा सकेगी। दोनों जगहों की सुनवाई को जनता एवं मीडिया के लिए खुला रखा जाएगा।
क्या हमें मौजूदा व्यवस्था में भारत के मुख्य न्यायाधीश के बजाय जन लोकपाल के सात सदस्यों वाली पीठ को अनुमति देने के अधिकार के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं होगी?	नहीं, हमें किसी प्रकार के संशोधन की जरूरत नहीं है।न तो हमारे संविधान में और न ही किसी कानून में यह लिखा है कि किसी न्यायधीश के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज कराने से पहले भारत के मुख्य न्यायधीश से अनुमति लेनी होगी। ऐसी व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय की ओर से वीरा स्वामी के मामले में एक आदेश के द्वारा बनाई गई थी दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले से पहले कभी किसी न्यायाधीश के खिलाफ झूठी प्राथमिकी (एफ. आई. आर.) दर्ज ही नहीं कराई गई और ऐसे में इस तरह का फैसला पूरी तरह निरर्थक था।

ख) निर्वाचित राजनेता (प्रधानमंत्री तथा मंत्री समेत) :

यदि कोई राजनेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो जन लोकपाल या जन लोकायुक्त उसके खिलाफ जनता कि किसी शिकायत या खुद से जांच शुरू कर सकता है। जांच पूरी होने के बाद यदि कोई मामला बनता है तो जन लोकपाल या जन लोकायुक्त न्यायालय में मुकदमा दर्ज करेगा। न्यायालय को उसकी सुनवाई और आदेश एक साल की अवधि के भीतर पूरे करने होंगे।

मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों के मामले में किसी भी जांच या मुकदमे को शुरू करने की अनुमति जन लोकपाल या जन लोकायुक्त की पूर्ण पीठ (ग्यारह सदस्यीय) को देनी होगी।

प्रधानमंत्री को छोड़ कर अन्य मंत्रियों के संबंध में यदि कोई मामला बनता है तो जन लोकपाल या जन लोकायुक्त की पीठ, राज्यपाल या राष्ट्रपति को ऐसे मंत्री को हटाने की सिफारिश करेगी ।

ग) नौकरशाह

जन लोकपाल या तो खुद से या किसी शिकायत पर किसी भी नौकरशाह के खिलाफ जांच की शुरूआत कर सकता है। जांच के पूरे होने के बाद यदि मामला बनता है तो जन लोकपाल या लोकायुक्त न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर सकता है। न्यायालय को 1 वर्ष के अंदर इसका फैसला करना होगा

नौकरशाहों के मामलों में, जांच पूरी होने के बाद यदि कोई मामला बनता है तो जन लोकपाल या जन लोकायुक्त के पास विभागीय दंड (पैनल्टी) के साथ–साथ बर्खास्तगी की सिफारिश करने की शक्ति होगी। ऐसी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी होगी। हालांकि, ऐसी सिफारिशें देने से पहले संभावनाओं की प्रधानता के आधार पर प्रमाणों की जांच की जाएगी। यदि आरोपी संयुक्त सचिव या उससे उच्च पद पर आसीन है तो ऐसा दंड जन लोकपाल या जन लोकायुक्त की पीठ द्वारा सभी पक्षों की सुनवाई के बाद लगाया जाएगा। बाकियों के लिए, ऐसे दंड लोकपाल या लोकायुक्त के उच्च अधिकारियों की पीठ के द्वारा लगाए जायेंगे। इन आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी।

रेखाचित्र द्वारा जन लोकपाल या जन लोकायुक्त में भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायतों के निवारण का निरूपण

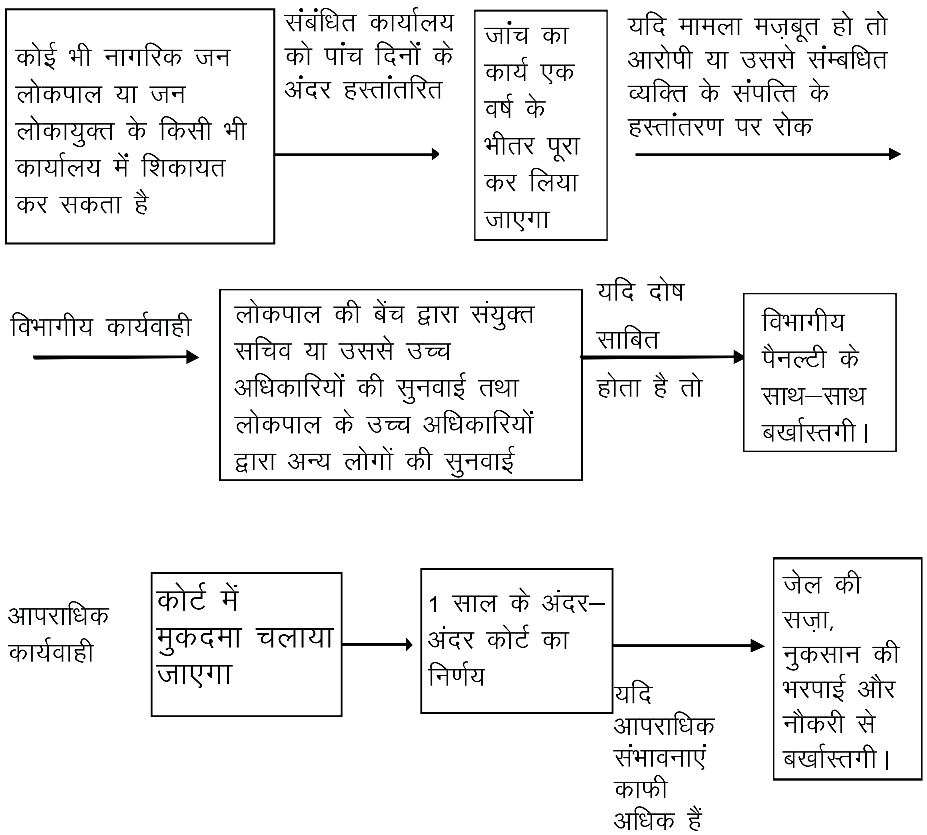

भ्रष्टाचार के खिलाफ अवाज़ उठाने वालों (व्हिसल ब्लोअर) का संरक्षण

समस्या क्या है ?

यदि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो ऐसी कोई संस्था नहीं है जो उसे विश्वसनीय तथा प्रभावशाली संरक्षण प्रदान कर सके। वह केवल पुलिस के पास जा सकता है। आमतौर पर पुलिस उन्हीं लोगों के नियंत्रण में होती है जो खुद भ्रष्ट हैं। मिसाल के तौर पर, यदि कोई स्थानीय सांसद या विधायक लोगों का उत्पीड़न करता है तो ऐसे में पुलिस कुछ नहीं करती।

जन लोकपाल बिल में प्रस्तावित व्यवस्था

जन लोकपाल एक स्वतंत्रसंस्था होने के नाते भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति को किसी भी हानि से संरक्षण दिलाने के लिए सक्षम तथा उत्तरदायी होगा और साथ ही इन मामलों में जांच तथा मुकदमें का आदेश देगी । यदि जन लोकपाल के अधिकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले व्यक्ति को पर्याप्त संरक्षण दिलाने में नाकामयाब होता है और व्यक्ति को वाकई में कोई हानि पहुंचती है, तो ऐसे अधिकारी के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही की जाएगी (यदि उसके पास खुद को बेकसूर साबित करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है)।

भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति स्थानीय सतर्कता (विजिलेंस) अधिकारी या जन लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्यों से सुरक्षा की मांग कर सकता है। इन्हें मामले की गंभीरता को देखते हुए निश्चित समय सीमा में कार्यवाही करनी होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति के पास जन लोकपाल के सदस्यों से व्यक्तिगत तौर पर मिलने या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बात करने का अधिकार होगा (यदि वह स्वयं जन लोकपाल भवन तक जाने में असमर्थ हैं)

भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति का यदि मानसिक उत्पीड़न होता है तो जन लोकपाल शिकायतकर्ता एक महीने के अंदर आवश्यक सुरक्षा दिलाएगा।

शारीरिक हानि का भय होने पर, जन लोकपाल भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति की शिकायत दर्ज कराने के कुछ ही घंटों में या अधिक से अधिक एक सप्ताह के भीतर मामले की गंभीरता को ध्यान में रखकर अनिवार्य सुरक्षा मुहैया कराएगा । यदि शारीरिक नुकसान पहले ही हो चुका है तो जन लोकपाल शिकायत दर्ज कराने के 24 घंटे के भीतर ही आगे होने वाले किसी और नुकसान से संरक्षण दिलायेगा। साथ ही जन लोकपाल पुलिस को नुकसान पहुंचाने वाले के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश भी देगा।

अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ प्राधिकारियों द्वारा कोई झूठा मामला दर्ज हुआ हो तो जन लोकपाल ऐसे मामले की वापसी भी सुनिश्चित करेगा।

झूठी और भ्रमित करने वाली शिकायतों के खिलाफ सुरक्षा

झूठी शिकायत : अगर कोई व्यक्ति बिना किसी आधार के किसी अन्य को परेशान करने की मंशा से शिकायत करता है तो शिकायतकर्ता पर जन लोकपाल की ओर से आर्थिक दंड लगाया जाएगा। हालांकि, कमज़ोर सबूतों के होने कि स्थिति में शिकायतकर्ता को दंडित नहीं किया जाएगा।

जन लोकपाल या लोकायुक्त के अध्यक्ष या किसी सदस्य के खिलाफ झूठी शिकायत : यदि कोई शिकायत बिना किसी आधार के अध्यक्ष या किसी सदस्य को परेशान करने की मंशा से की जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय ऐसे शिकायतकर्ता के खिलाफ आर्थिक दंड लगा सकते हैं तथा जेल की सज़ा भी दे सकते हैं।

जन लोकपाल अधिनियम के बारे में बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्न

क) क्या लोकपाल निरंकुश हो जाएगा ?

एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि प्रस्तावित जन लोकपाल निरंकुश हो जाएगा तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए खतरा बन जाएगा। यह बिलकुल गलत है। आइए देखते हैं कि जन लोकपाल अधिनियम में क्या प्रस्तावित है –

1) राजनेताओं, न्यायाधीशों तथा नौकरशाह के खिलाफ जन लोकपाल भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच करेगा तथा दोषी पाने पर न्यायालय में मामला दर्ज करेगा। सुनवाई या सज़ा का अधिकार केवल न्यायालय के पास होगा। लोकपाल के पास सज़ा देने की कोई शक्ति नहीं होगी।

2) पर, नौकरशाहों के मामले में, यदि जांच के बाद अधिकारी को दोषी पाया जाता है तो जन लोकपाल के पास विभागीय दंड देने समेत बर्खास्त करने की शक्ति होगी। संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों के मामले में सभी संबंधित पक्षों की सुनवाई के बाद जन लोकपाल के सदस्यों की एक पीठ इस प्रकार का दंड दे सकेगी। अगर आरोपी संयुक्त सचिव या उससे निचले स्तर का हो तो उस मामले में सुनवाई जन लोकपाल के वरिष्ठ अधिकारियों की एक पीठ द्वारा की जाएगी। जन लोकपाल के इन आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की जा सकेगी। यह व्यवस्था वर्तमान व्यवस्था से काफी बेहतर है, जिसमें आरोपी तथा उनके मित्र ही अपने खिलाफ जांच करने एवं सज़ा निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। वर्तमान में, उसी विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है (अकसर कनिष्ठ अधिकारी अपने उच्चाधिकारियों के खिलाफ जांच करते हैं।) तथा सज़ा का निर्धारण उसी विभाग या मंत्रालय के अधिकारी द्वारा किया जाता है और उनके खिलाफ अपील भी उसी विभाग या मंत्रालय के किसी अधिकारी के पास की जाती है। चूंकि आरोपी अधिकारी उसी विभाग / मंत्रालय से संबंधित होता है इसलिए वह अपने सहकर्मियों, साथियों तथा मातहतों को प्रभावित करने में कामयाब हो जाता है। ज़्यादातर मामलों में कार्यवाही करने वाले अधिकारी भी भ्रष्टाचार में लिप्त होते है।

वर्तमान व्यवस्था में, इस पूरी प्रक्रिया में जनता या शिकायतकर्ता कुछ कह ही नहीं पाते। गैर–ईमानदार जांच के बाद भ्रष्ट अधिकारियों को छोड़ दिया जाता है। जन लोकपाल बिल के तहत शिकायत करने वाले को मुख्य गवाह माना जाएगा तथा उसे सुनवाई का मौका दिए बिना, मामले को बंद नहीं किया जाएगा।

इस प्रकार प्रस्तावित व्यवस्था पहले के मुकाबले काफी निष्पक्ष, पारदर्शी तथा जवाबदेह है।

ख) क्या जन शिकायतों को लोकपाल की परिधि में लाना चाहिए ?क्या इससे लोकपाल का कार्यभार अत्याधिक बढ़ने के कारण लोकपाल व्यवस्था चरमरा जाएगी ?

जन लोकपाल बिल में प्रस्तावित शिकायत निवारण व्यवस्था के तहत कोई भी शिकायत सीधे जन लोकपाल के सदस्यों तक नहीं पहुंचेगी। जब किसी विभाग के प्रमुख समेत संबंधित अधिकारी किसी नागरिक की शिकायत का निस्तारण करने में असफल होंगे, तब ये शिकायत जन लोकपाल के सतर्कता अधिकारी तक पहुंचेगी। सतर्कता अधिकारी शिकायत का हल निकालने के अलावा विभाग के प्रमुख समेत संबंधित अधिकारियों को दंडित भी करेगा। यह उम्मीद है कि यह व्यवस्था दंड के डर से विभागों के प्रमुख अपनी व्यवस्था को मजबूत करना शुरू कर देंगे। साथ ही, प्रत्येक विभाग को अपने–अपने नागरिक अधिकार पत्र तैयार करने होंगे। वे पहले खुद इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे कि उन्हें अपने नागरिक अधिकार पत्र में क्या रखना है जिससे वे अपनी प्रतिबद्धता को पुख्ता कर सकें। हालांकि, यह माना जा रहा है कि सभी विभाग एक ही साल के भीतर सार्वजनिक कामों से जुड़े मामलों को अपने नागरिक अधिकार पत्र में लाएंगे।

यह भी आशंका जताई जा रही है कि जन लोकपाल के पास शिकायतों का अम्बार लग जाएगा और काम ठप्प हो जाएगा। यह आशंका सही नहीं है क्योंकि सिर्फ उन्हीं शिकायतों को स्वीकार किया जाएगा जो नागरिक अधिकार पत्र के उल्लंघन से संबंधित होंगी। एक बार के लिए अगर हम मान भी लें कि किसी विभाग के खिलाफ लाखों शिकायतें आ जाती हैं तो भी जन लोकपाल की व्यवस्था ठप्प नहीं होएगी। इनसे केवल कुछ जगहों के कुछ विभागों के सतर्कता अधिकारियों का काम रुक सकता है। ऐसे में यदि जन लोकपाल यह महसूस करता है कि अधिक सतर्कता अधिकारियों की जरूरत है, तो उसके पास और सतर्कता अधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति होगी।

परिशिष्ट–1

वर्तमान भ्रष्टाचार निरोधी व्यवस्था की खामियां

केंद्र सरकार के स्तर पर

केंद्र सरकार के स्तर पर हमारे पास केंद्रीय सतर्कता आयोग, विभागीय सतर्कता तथा सी.बी.आई है। केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा विभागीय सतर्कता, भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों को सतर्कता के संदर्भ (अनुशासनात्मक कार्यवाही) में तथा सी.बी. आई आपराधिक संदर्भ में, कार्यवाही करती है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग– केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार के सतर्कता संबंधी मामलों के लिए सर्वोच्च संस्था है।

- इस विभाग के पास बड़े पैमाने पर शिकायतें आती हैं लेकिन उनसे निपटने के लिए सीवीसी के पास संसाधनों का अभाव है। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहुत ही छोटी संस्था है, जिसके कुल कर्मचारियों की संख्या 200 से भी कम है। इसे केंद्र सरकार के 1500 से भी अधिक विभागों तथा मंत्रालयों से संम्बधित भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करनी होती है, जिनमें से कुछ विभाग अत्याधिक बड़े हैं जैसे केंद्रीय उत्पाद, रेल, आयकर आदि ।

- इस प्रकार यह एक डाकखाने की भांति काम करते हुए ज़्यादातर शिकायतों को संबंधित सतर्कता शाखाओं को प्रेषित करता रहता है। यह प्रत्यक्ष रूप से केवल कुछ ही मामलों में खुद जांच करता है। उदाहरण के लिए वर्ष 2009–10 में इसको प्राप्त होने वाले 1800 मामलों में से सिर्फ 11 मामलों में ही इसके द्वारा प्रत्यक्ष जांच की गई। बाकी मामले केवल आगे प्रेषित कर दिए गये।

- केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) मात्र एक सलाहकारी संस्था है। केंद्र सरकार के किसी भी विभाग की सतर्कता शाखा पहले मामले की जांच करती है, उसके बाद सज़ा के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग से सलाह मांगती है। हालांकि, उस विभाग का प्रमुख केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिशों को मानने या ना मानने कि लिए स्वतंत्र है। उन मामलों में भी जो इसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जांचे गए हैं, सीवीसी सरकार को केवल सलाह दे सकता है। देखने में आया है कि किसी बड़े अधिकारी के भ्रष्टाचार से जुड़े होने के मामल में सरकार द्वारा ऐसी सिफारिशें बहुत कम ही मानी गई हैं।

- केंद्रीय सतर्कता आयोग का अधिकार क्षेत्र नौकरशाहों तक ही सीमित है। राजनेता इसके क्षेत्र में नहीं आते। यदि किसी मामले में राजनेता भी शामिल हों तो यह केवल नौकरशाह की भूमिका से संबंधित मामले की ही जांच करता है।

- **विभागीय सतर्कता शाखाओं के ऊपर इसका कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है जब की यह अधिकतम शिकायतें उन्हें ही सौंपता हैं। अकसर देखा जाता है कि शिकायत सौंपने के बाद इसे बार–बार संबंधित विभाग को याद दिलाते रहता है जिन्हें कई बार माना भी नहीं जाता। सीवीसी के पास अपने आदेशों के अनुपालन कराने की कोई शक्ति नहीं है।**

- **केंद्र सरकार के विभागों के सतर्कता शाखाओं पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है जिन्हें यह भ्रष्टाचार की शिकायतें सौंपता है। यद्यपि सरकार विभिन्न विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति करते समय केंद्रीय सतर्कता आयोगों की सलाह लेती है किंतु अंतिम निर्णय सरकार द्वारा ही लिया जाता है। साथ ही मुख्य सतर्कता अधिकारी से नीचे के अधिकारियों की नियुक्ति / तबादले उस विभाग के प्रमुख द्वारा किए जाते हैं।**

- **केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्तियां प्रत्यक्ष रूप से सरकार के नियंत्रण में होती हैं। यह नियुक्तियां विवादास्पद एवं गैर–पारदर्शी होती हैं।**

- **सीवीसी अधिनियम केंद्रीय सतर्कता आयोग को सीबीआई के पर्यवेक्षण का (सुपरवाइज़ करने का) अधिकार देता है। परंतु यह अधिकार बेमानी है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास किसी भी मामले में सीबीआई से कोई दस्तावेज़ मांगने या किसी विशेष तरीके से जांच करवाने की शक्ति नहीं है। इसके अलावा सीबीआई केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के बजाय सेवीवर्गीय एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है।**

- **इस प्रकार केंद्रीय सतर्कता आयोग अपेक्षाकृत रूप से एक स्वतंत्र संस्था है फिर भी इसके पास न तो संसाधन है और न शक्तियां, जिससे यह जांच या कार्यवाही कर सके। केंद्रीय सतर्कता आयोग केवल एक दिखावा मात्र बन कर रह गया है।**

विभागीय सतर्कता शाखा– प्रत्येक विभाग में एक सतर्कता शाखा होती है जिसमें उसी विभाग के अधिकारी होते हैं (कुछ बाहरी लोगों को छोड़ कर जैसे मुख्य सतर्कता अधिकारी)। हालांकि, उसके अंदर काम करने वाले सभी अधिकारी उसी विभाग के होते है।

- चूंकि विभाग के सतर्कता शाखा के सभी अधिकारी उसी विभाग से होते हैं, तो उन्हें किसी भी समय उसी विभाग में किसी अन्य पद पर भी भेज दिया जाता है। ऐसे में उनके द्वारा अपने ही सहकर्मियों या उच्च अधिकारियों के खिलाफ जांच करना असंभव हो जाता है। यदि किसी उच्च अधिकारी के खिलाफ शिकायत प्राप्त होती है तो ऐसा अधिकारी (जिसको बाद में, हो सकता है कि उसी आरोपी अधिकारी के नीचे काम करना पड़े) उसके खिलाफ प्रभावी जांच नही करता। काफी बार ऐसा भी होता है कि सतर्कता अधिकारी आरोपी अधिकारी के नीचे काम कर रहा होता है। ऐसे में ईमानदार जांच करना तो लगभग असंभव ही है।

- कुछ विभागों में सतर्कता अधिकारी अन्य कार्यों को भी देखते हैं। इसका मतलब है कि उसे सतर्कता का अतिरिक्त प्रभार दिया गया होता है। ऐसे में यदि कोई नागरिक शिकायत करता है तो संभव है कि उस अधिकारी को अपने आप के खिलाफ ही जांच करनी पड़ती है। यदि ऐसी शिकायत विभाग प्रमुख या सीवीसी को भी की जाती है तो भी वह अंत में उसी अधिकारी को सौंप दी जाती है। ऐसे सैकड़ों शर्मनाक उदाहरण हैं।

- सतर्कता विभाग से जुड़े ज्यादातर अधिकारी पहले से ही भ्रष्ट होते हैं। सतर्कता विभाग में रहते हुए वह अपने खिलाफ लगे सभी मामलों पर लीपा–पोती कि कोशिश करते हैं। इस प्रकार वे सतर्कता विभाग को भ्रष्टाचार का गढ़ बना देते हैं जहां पैसा लेकर मामले बंद किए जाते हैं।

- विभागीय सतर्कता शाखा किसी भी मामले के आपराधिक पहलू की जांच नहीं करती और न ही इसे प्राथमिकी (एफ.आई.आर) दर्ज करने की शक्ति होती है।

- इनके पास राजनेताओं के खिलाफ भी कोई शक्ति नहीं होती।

- चूंकि सतर्कता विभाग उस विभाग के प्रमुख द्वारा नियंत्रित होता है, इसलिए इसके द्वारा उसी विभाग के उच्च अधिकारियों के खिलाफ जांच कर पाना असंभव होता है।

- इस प्रकार ज्यादातर समय किसी भी विभाग की सतर्कता शाखा शिकायतों की केवल लीपा–पोती कर रहा होता है या कुछ चुने हुए अफसरों के खिलाफ ही जांच करता है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई) – सीबीआई के पास पुलिस थाने की

तरह प्राथमिकी दर्ज करने की तथा जांच करने की शक्ति होती है। यह केंद्र सरकार से संबंधित किसी भी विभाग में स्वतः या किसी राज्य सरकार या न्यायालय के निर्देश पर जांच कर सकती है।

- सीबीआई के ऊपर ज़्यादा काम होने के कारण वो मामले भी स्वीकार नहीं करती जिनमें लगभग एक करोड़ का घपला हुआ हो।

- सीबीआई प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। सीबीआई के निदेशक और अन्य सभी अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा सीधे नियुक्त किए जाते हैं।

- अगर भ्रष्टाचार के मामले में संयुक्त सचिव या उसके ऊपर के स्तर के अधिकारी शामिल हों तो सीबीआई को जांच शुरू करने से पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। मुकदमा चलाने के लिए भी इसे सरकार से अनुमति लेनी होती है। काफी बार जिन अधिकारियों को ऐसी अनुमति देनी होती है वे या तो स्वयं ऐसे मामलों मे लिप्त होते हैं या इनमें संलिप्त किसी राजनैतिक व्यक्ति के प्रभाव में होते हैं।

- किसी मामले की जांच पूरी हो जाने के बाद सीबीआई द्वारा न्यायालय में मामला दर्ज कराने के लिए वकील कानून मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऐसे में यदि किसी मामले में कोई मंत्री फंसा हुआ है तो कानून मंत्रालय ऐसा वकील चुनता है जिसका प्रयास दोषी को सज़ा दिलाने की बजाय मामले को ही खतम करा देना होता है।

- अतः यदि कोई शिकायत किसी मंत्री, राजनेता या नौकरशाह से संबंधित होती है जो सत्तारूढ़ का हिस्सा हो तो ऐसे मामलां में सीबीआई द्वारा सही जांच कर पाना असंभव होता है। ऐसे में सीबीआई मामले की लीपा–पोती में जुट जाती है।

- पुनः, सीबीआई के सरकार के अधीन होने के कारण, इसका इस्तेमाल विपक्षी राजनेताओं से सौदेबाज़ी के लिए किया जाता है।

अंतः, यदि एक नागरिक किसी राजनेता या केंद्र सरकार के किसी अफसर के भ्रष्टाचार की शिकायत करना चाहता है तो कोई भी एक ऐसी भ्रष्टाचार निरोधी एजेंसी नहीं है जो सरकार से मुक्त हों और प्रभावशाली हो। सीबीआई के पास शक्ति है लेकिन स्वतंत्र नहीं है। केंद्रीय सतर्कता आयोग स्वतंत्र है लेकिन न तो उसके पास शक्ति है न ही संसाधन।

राज्य स्तर पर

हमारे पास ठीक ऐसी ही व्यवस्था राज्य स्तर पर भी हैं। सभी सतर्कता एजेंसियां (जैसे राज्य सतर्कता विभाग, विभागों की सतर्कता शाखा) और भ्रष्टाचार निरोधी एजेंसियां (जैसे राज्य पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा, सीआईडी आदि) सीधे–सीधे राज्य सरकार के नियंत्रण में काम करती हैं और इसलिए अपने राजनीतिक मालिकों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच प्रभावी तरीके से नहीं कर पाती। साथ ही, कुछ ही राज्यों में लोकायुक्त बनाए गए हैं।

लोकायुक्तः

- लोकायुक्त स्वतः जांच शुरू नहीं कर सकता। उसे निर्धारित स्तर के ऊपर के अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है।
- कुछ राज्यों में, जन लोकायुक्त को केवल राजनेताओं के खिलाफ शक्ति दी गई है। यहां नौकरशाहों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों सतर्कता विभाग देखते हैं। इस प्रकार का विभाजन जांच प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाता है। जब किसी एक मामले में जिसमें राजनेता और नौकरशाह दोनों शामिल होते हैं(जो कि आमतौर पर देखने को मिलता है), लोकायुक्त और सतर्कता विभाग दोनों ही कठिनाई महसूस करते है।
- लोकायुक्त केवल एक सलाहकार की भूमिका निभाता है। उसे प्रत्यक्ष रूप से मुकदमा करने की शक्ति नहीं है। वे सरकार को सिफारिश भेज सकते हैं जिसका मानना या न मानना सरकार के हाथ में होता है।
- इनके पास भारी मात्रा में जो शिकायतें मिलती है उनकी जांच के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते।
- लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा विवादास्पद एवं गैर–पारदर्शी तरीके से की जाती है। कुछ राज्यों में इनकी स्वतंत्रता पर भी सवाल उठे हैं।

परिशिष्ट – 2

Government denied permission to register case against top NHAI officer

Indian Express 18th Nov 2010

The Union Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH), under Kamal Nath, has refused the Central Bureau of Investigation (CBI) sanction to initiate an inquiry against a top official of the National Highways Authority of India (NHAI) in connection with a corruption case registered six months ago in which two top NHAI officials were arrested.

CBI officials said the denial of sanction came early this month after it sent several reminders to the Ministry and to the Cabinet Secretary underlining that it was Union Minister Kamal Nath who was the “competent authority” to take a final decision in the matter.

Sources have confirmed to The Indian Express that the CBI, after seeking legal advice, has now written to Cabinet Secretary K M Chandrasekhar asking him to transfer out S I Patel, an Additional Secretary-level officer who is now posted as Member (Projects) in the NHAI.

The Cabinet Secretary is understood to have scheduled a review meeting with CBI officials later this week.

The case in question is a controversial award of contract in the 120-km Nagpur-Betul Highway (NH 69) to a Delhi-based private firm, Oriental Structural Engineers Pvt Ltd (OSEPL). The contract value, over an 18-year period, is Rs 10,800 crore, and the CBI has alleged several irregularities in the manner in which it was awarded.

It was in May this year that the CBI registered a case after it received complaints from among the 12 other bidders and put telephones of NHAI and OSEPL under surveillance. Cash totaling Rs 1.86 crore was recovered by the CBI from NHAI officials during searches.

The CBI called it a case of criminal conspiracy and corruption in which while awarding a contract, the NHAI had tried to “eliminate all possible contenders on one pretext or another and favoured the accused company ensuring huge financial gain to it.”

Those arrested were a Chief General Manager and General Manager of the NHAI and two top OSEPL bosses, including its managing director. An analysis of the evidence including telephone transcripts of conversations between the two camps and emails exchanged between NHAI and OSEPL officials led the CBI to seek sanction to investigate Member (Projects) Patel too.

Significantly, Patel was able to stay out of the country he sought several extensions of his leave all throughout the 60-day remand period of the arrested officials and returned to NHAI only after they secured bail since the CBI failed to file a chargesheet.

The CBI version is that Patel's evidence is vital to link pieces of evidence in the case and, therefore, its urgent reminders for immediate grant of sanction.

When contacted today, NHAI chairman Brajeshwar Singh told The Indian Express that he wasn't aware of the final outcome of the CBI's request for sanction since it was being handled by the Ministry.

"The Ministry had asked us for comments and we gave them what was on our files. I am not aware of the nature of evidence with the CBI since they are not expected to share it with us," he said. "Yes, the CBI recovered huge sums of money from two NHAI officials but again I am not aware if they were able to establish a nexus between the officers and the contract."

Despite senior NHAI officials being arrested and OSEPL being made the "accused" private beneficiary, the NHAI went ahead and signed the concessional agreement the final contractual procedure with the same company. This was done in end August, three months after the arrests and searches. When asked about this, NHAI chief Singh said: "Technically, the contract was awarded before the CBI action. Nobody, including the CBI, had asked us to cancel the concessional agreement. Its signing was a mere formality."

Coal Ministry sits on CBI requests to prosecute Coal India top officer

Indian Express 7th March 2011

The Coal Ministry is sitting on at least three requests by the CBI during the past year to initiate prosecution proceedings against S C Garg, the Chairman and Managing Director of Western Coalfields Ltd, a subsidiary of state-owned monopoly Coal India Ltd. Garg is one of the two contenders for the post of Coal India CMD.

The investigating agency first wrote to the ministry on March 18, 2010, seeking permission to register a case of "grave misconduct" against Garg. As WCL CMD, Garg was accused of showing undue favours to Shri Sai Constructions, which was awarded a Rs 13.5 crore contract for building the Motaghat Nala. It allegedly forged bank guarantee papers to execute the works, but Garg didn't take serious action to penalise the firm.

"The CMD of WCL is a Joint Secretary-level officer. Hence approval under Section 6A of the DSPE Act is required for carrying out an inquiry into the said allegations," the CBI wrote in its letter to the ministry, a copy of which is with The Indian Express. But the ministry did not respond.

According to CIL sources, while Garg constituted a committee on September 9, 2008, to ascertain if Shri Sai Constructions could be banned and penalties imposed on it, he did little to implement its recommendations. The panel had recommended banning the firm "with immediate effect" and also forfeiting the balance payment of Rs 92,23,154 against the work executed. It had also suggested recovery of over Rs 16 lakh from it for forging bank guarantees.

Denying that he was responsible for the Motaghat Nala contract, Garg says the charges were an attempt to malign him as he was set to become CIL CMD. "The CBI has jumped midway without collecting fact or waiting for the outcome of the deliberations of the Board, which is the competent authority for giving any decision involving such expenditure (of about Rs 14 crore). I, as the MD can only decide on cases involving expenditure of up to Rs 10 crore. The Motaghat Nala contract was given before I became CMD of WCL, and I was apprised of it in July 2008. So how am I responsible?"

He said they had realised that Shri Sai Constructions had provided a fake bank guarantee (Rs 2.24 crore), following which they had filed an FIR, forfeited their gurantee and also charged Rs 17,00,000 as interest. "I also solicited the advice of the Additional Solicitor General. The matter is with the board and a case is on against the company."

After the ministry didn't get back on its March 2010 letter, then CBI Director Ashwini Kumar wrote another letter to the Coal Ministry on June 10, seeking approval to prosecute Garg for "criminal misconduct". "...so far, no action has been taken and Garg continues to enjoy his posting", the CBI said in its second letter. However, the ministry chose to ignore this too.

Six months later, on December 3, the CBI again reminded the ministry about its request and said that one of its Joint Director-level officers "himself had come and handed over the request for permission for registration of the case against Garg".

After Partha S Bhattarcharya retired as CIL CMD recently, Garg and T K Lahiry, CMD of Bharat Coking Coal Ltd, also a subsidiary of CIL, were shortlisted by the Public Enterprises Selection Board for the coveted job.

When contacted, Coal Minister Sriprakash Jaiswal said: "We are looking into it. The law will take its own course." He added that his ministry was waiting for the final report of the Central Vigilance Commission on Garg's candidature for becoming CIL chief.

Incidentally, the CVC too had written a letter to the ministry on November 11 last year, endorsing the CBI's request for proceeding against Garg and asking the ministry to expressly get back to the agency on whether it was allowing prosecution, and if not, to convey the reasons for refusal.

CBI cannot act against Railway scam accused

Asian Age 21st July 2010

The Central Bureau of Investigation sleuths probing the Railway Recruitment Board scam couldn't make much headway in the case of Mumbai RRB chief Mr S. M. Sharma thanks to a provision in the Delhi Special Police Establishment Act which makes government sanction mandatory before registering an FIR against an officer of the rank of joint-secretary or above under the Prevention of Corruption Act. Though the CBI allegedly found incriminating evidence against Mr Sharma, they couldn't register an FIR against him due to Section 6A of the DSPE Act as Mr Sharma is an officer of the joint-secretary rank.

On June 17, the CBI had written to the Centre seeking permission for initiating investigation against Mr Sharma after the arrest of his son Mr Vivek Bhardwaja. Sources in the Central Bureau of Investigation said that the agency is still awaiting the Centre's nod and this delay in obtaining permission is having a negative impact on the investigations as in several cases the accused get enough time to manipulate various aspects of the case.

A Central Bureau of Investigation official said, "Earlier, in several cases the accused tried to seek a discharge from the case on technical grounds by raising the issue that the mandatory provision of Section 6A was not complied by the CBI."

Section 6A was inserted in 2003 with an intention of safeguarding public servants against mala fide and unwarranted investigations.